EXPORT- IMPORT POLICY (1997-2002)

Export Import Policy or better known as Exim Policy is a set of guidelines and instructions related to the import and export of goods. The Government of India notifies the Exim Policy for a period of five years (1997-2002) under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992. The current policy covers the period 2002-2007. The Export Import Policy is updated every year on the 31st of March and the modifications, improvements and new schemes became effective from 1st April of every year. All types of changes or modifications related to the Exim Policy is normally announced by the Union Minister of Commerce and Industry who co-ordinates with the Ministry of Finance, the Directorate General of Foreign Trade and its network of regional offices.
Canalization is an important feature of Exim Policy under which certain goods can be imported only by designated agencies. For an example, canalised import items like gold, in bulk, can be imported only by specified banks like SBI (State Bank of India) and some foreign banks or designated agencies.

निर्यात आयात नीति या बेहतर एक्जिम नीति के रूप में जाना जाता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित दिशा-निर्देशों और निर्देशों का एक सेट है। भारत सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन अधिनियम), 1992 की धारा 5 के तहत पांच वर्ष (1997-2002) की अवधि के लिए एग्जाम नीति को अधिसूचित करती है। वर्तमान नीति में 2002-2007 की अवधि को शामिल किया गया है । निर्यात आयात नीति को हर साल 31 मार्च को अद्यतन किया जाता है और संशोधन, सुधार और नई योजनाएं हर साल की 1 अप्रैल से प्रभावी हो गईं । एक्जिम नीति से संबंधित सभी प्रकार के परिवर्तनों या संशोधनों की घोषणा सामान्यत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है जो वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के साथ समन्वय करते हैं । कैनालाइजेशन एक्जिम पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके तहत कुछ वस्तुओं का आयात केवल नामित एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, थोक में सोने जैसी कैनालाइज्ड आयात वस्तुओं का आयात केवल एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) और कुछ विदेशी बैंकों या नामित एजेंसियों जैसे निर्दिष्ट बैंकों द्वारा किया जा सकता है ।

About Export Import Policy of India:

Exim Policy or Foreign Trade Policy is a set of guidelines and instructions established by the DGFT in matters related to the import and export of goods in India.

Foreign trade in India is guided by the EXIM Policy of the Indian Government and is regulated by the Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992.

DGFT (Directorate General of Foreign Trade) is the main governing body in matters related to Exim Policy. The main objective of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act is to provide the development and regulation of foreign trade by facilitating imports into, and augmenting exports from India. Foreign Trade Act has replaced the earlier law known as the Imports and Exports (Control) Act 1947.

DGFT – Functions:

The functions of the DGFT are given below.

1. Implementing the foreign trade or EXIM policy of the government.
2. Providing a complete database of all exporters and importers in India.
3. Granting of the Exporter Importer Code (EIC) Number to exporters and importers in India.
    - The EIC Number is a ten-digit number that is needed for people to export and/or import.
4. It has the authority to prohibit, restrict, and regulate importers and exporters.
5. Regulating and permitting the transit of goods from India to adjacent countries according to the bilateral trade agreements.
6. Promoting trade between India and her neighbouring countries.
7. Granting permission of free export wherever necessary.
8. It plays a vital role in controlling DEPB rates.
    - DEPB: Duty Entitlement Pass Book
    - DEPB Scheme is an export incentive scheme of the GOI given to exporters.
9. Handling quality complaints of the foreign buyers of Indian export products.
10. Formulating or adding new codes in the ITC-HS Codes.
    - ITC-HS codes are also known as Indian Trade Clarification based on the Harmonized System of Coding.
    - These are codes given to export/import products.

भारत की निर्यात आयात नीति के बारे में

एग्जाम नीति या विदेश व्यापार नीति भारत में वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित मामलों में डीजीएफटी द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों और निर्देशों का एक सेट है ।

भारत में विदेश व्यापार भारत सरकार की एक्जिम नीति द्वारा निर्देशित है और इसे विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 द्वारा विनियमित किया जाता है।

एक्जिम नीति से संबंधित मामलों में डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) मुख्य शासी निकाय है। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत से आयात को सुगम बनाकर और निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार के विकास और नियमन को प्रदान करना है । विदेश

व्यापार अधिनियम ने पहले के कानून को आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के नाम से बदल दियाहै .

डीजीएफटी - कार्य

डीजीएफटी के कार्य नीचे दिए गए हैं।

i. सरकार की विदेश व्यापार या एक्जिम नीति को लागू करना।
ii. भारत में सभी निर्यातकों और आयातकों का पूरा डाटाबेस उपलब्ध कराना।
iii. भारत में निर्यातकों और आयातकों को निर्यातक आयातक संहिता (ईआईसी) संख्या प्रदान करना।
    a. ईआईसी संख्या दस अंकों की संख्या है जो लोगों को निर्यात करने और/या आयात करने के लिए आवश्यक है ।
iv. इसमें आयातकों और निर्यातकों को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने और विनियमित करने का प्राधिकार है ।
v. द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के अनुसार भारत से निकटवर्ती देशों में माल के पारगमन को विनियमित और अनुमति देना ।
vi. भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना।
vii. जहां भी आवश्यक हो, निशुल्क निर्यात की अनुमति प्रदान करना।
viii. यह डेपबी दरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    a. DEPB: ड्यूटी पात्रता पास बुक
    b. डेपबी योजना निर्यातकों को दी जाने वाली भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना है।
ix. भारतीय निर्यात उत्पादों के विदेशी खरीदारों की गुणवत्ता की शिकायतों को संभालना।
x. आईटीसी-एचएस कोड में नए कोड तैयार करना या जोड़ना।
    a. आईटीसी-एचएस कोड को कोडिंग की सामंजस्य प्रणाली के आधार पर भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण के रूप में भी जाना जाता है।
    b. ये निर्यात/आयात उत्पादों को दिए जाने वाले कोड हैं।

Salient Features of the New Export & Import Policy:

1. Increase in number of Export Items: निर्यात मदों की संख्या में वृद्धि:

The Govt. has identified many new products for exports. They are fish and fish preparations, agricultural products and marine products etc. These products are import-light and hence pressure on foreign exchange was relieved.

2. Special Economic Zones: विशेष आर्थिक क्षेत्र:

For promotion of exports, special economic zones (SEZ) have been established. SEZ units are deemed to be foreign territory for the purpose of trade operations and tariffs. The main objective of the SEZ units is to provide a congenial atmosphere for exports. Indian banks were pre-mitted to establish off share banking units in SEZ. These units will attract foreign direct investments (FDI's) and would be free from cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR).

3. Role of Public Sector Agencies: सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों की भूमिका:

Certain exports are controlled by Public sector agencies like State Trading Corporations (STC), Mineral and Metal Trading Corporation (MMTC). Now these are asked to compete with other exporters. Foreigners have been permitted to set up trading houses for export purposes.

4. Restriction Free Export Policy: प्रतिबंध मुक्त निर्यात नीति:

Restrictions on exports have been reduced to minimum according to new policy. Export restrictions have been imposed on a few sensitive commodities taking the domestic demand and supply factors into consideration. Export duties are now not considered as source of revenue generation but a means of increasing the competitiveness of domestic exporters in the international market.

5. Liberalisation of Export-Oriented Import: निर्यातोन्मुखी आयात का उदारीकरण:

Import licenses were removed from most of the items. Provisions were made to levy low custom duties an import which were used as inputs for production of export goods. Imports were linked to the availability of foreign exchange generated through exports.

Import duties were gradually reduced and the objective was to equal the same with other countries of the world. The restrictions laid on import of all items were removed to conform to the WTO norms and these were put under Open General License (OGL) list. This process liberalized imports and simplified export-import procedures.

6. Convertibility of Rupee: रुपये की परिवर्तनीयता:

To increase exports, the rupee was made partly convertible on current account. In 1994-95 budget rupee was made fully convertible.

7. Devaluation of Rupee: रुपये का अवमूल्यन:

Generally speaking, devaluation of rupee means lowering the value of rupee in terms of foreign currencies. Devaluation makes domestic goods cheaper in the foreign market. To cover the balance of payment difficulty. Govt. of India devalued rupee in June 1991 by 23%. This helped in encouraging exports.

निर्यात- आयात नीति (1997-2002)

नई निर्यात और आयात नीति की प्रमुख विशेषताएं-

1. निर्यात मदों की संख्या में वृद्धि:

सरकार ने निर्यात के लिए कई नए उत्पादों की पहचान की है। वे मछली और मछली की तैयारी, कृषि उत्पाद और समुद्री उत्पाद आदि हैं । ये उत्पाद आयात-प्रकाश हैं और इसलिए विदेशी मुद्रा पर दबाव से राहत मिली।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र:

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना की गई है। एसईजेड इकाइयों को व्यापार संचालन और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है । सेज इकाइयों का मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना है। भारतीय बैंकों को एसईजेड में शेयर बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने के लिए पहले से ही किया गया था । ये इकाइयां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करेंगी और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से मुक्त होंगी।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों की भूमिका:

कुछ निर्यात राज्य व्यापार निगमों (एसटीसी), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब इन्हें अन्य निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा जाता है । विदेशियों को निर्यात उद्देश्यों के लिए व्यापारिक घराने स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

4. प्रतिबंध मुक्त निर्यात नीति:

नई नीति के अनुसार निर्यात पर प्रतिबंधों को घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है । घरेलू मांग और आपूत कारकों को ध्यान में रखते हुए कुछ संवेदनशील वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्यात शुल्कों को अब राजस्व उत्पादन का स्रोत नहीं माना जाता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का एक साधन माना जाता है ।

5. निर्यातोन्मुखी आयात का उदारीकरण:

अधिकांश वस्तुओं से आयात लाइसेंस हटा दिए गए । कम कस्टम शुल्क लगाने के प्रावधान किए गए थे, जिनका उपयोग निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में किया जाता था । आयात निर्यात के माध्यम से उत्पन्न विदेशी मुद्रा की उपलब्धता से जुड़े थे।

आयात शुल्क धीरे-धीरे कम होता गया और इसका उद्देश्य दुनिया के अन्य देशों के साथ बराबरी करना था। डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के अनुरूप सभी मदों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया

था और इन्हें ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) सूची के तहत रखा गया था । इस प्रक्रिया ने आयात को उदार बनाया और निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाया ।

6. रुपये की परिवर्तनीयता:

निर्यात बढ़ाने के लिए चालू खाते पर रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था। 1994-95 में बजट रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय बना था।

7. रुपये का अवमूल्यन:

आम तौर पर रुपये के अवमूल्यन का मतलब विदेशी मुद्राओं के हिसाब से रुपये का मूल्य कम करना होता है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में घरेलू सामान सस्ता हो जाता है। भुगतान की कठिनाई के संतुलन को कवर करना। भारत सरकार ने जून 1991 में रुपये का 23% तक अवमूल्यन किया। इससे निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिली।